तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
11-12-23	दि० 01-12-23 को राजकीय अवकाश होने पर पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21-12-23 को पेश हो।
21-12-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3-1-24 को पेश हो।
03-1-24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 07-2-24 को पेश हो।
07.02.24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा पेश संशोधित शीर्षक को शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा प्रकरण में अंतिम एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रकरण में अंतिम बहस सुनी जाकर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् ईस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड को आंशिक रूप से स्वीकार कर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। 07/02/24 दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
156/2018	2018/00297	23.04.2003	07.02.2024 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. सुरज्ञान पुत्र शिवनारायण
2. बद्रीनारायण पुत्र शिवनारायण
3. सीताराम पुत्र शिवनारायण
4. कालूराम पुत्र शिवनारायण
5. सुरेश पुत्र शिवनारायण

समस्त जाति यादव निवासीगण तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—— वादीगण——

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र रामेश्वर
2. रामावतार पुत्र रामेश्वर (हजफ)
3. बाबूलाल पुत्र रामेश्वर
4. रामजीलाल पुत्र रामेश्वर
5. नन्दलाल पुत्र प्रभूदयाल
6. मामराज पुत्र प्रभूदयाल
7. चमेली पत्नी प्रभूदयाल (हजफ)

जाति दर्जी निवासीगण गाम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

——प्रतिवादीगण——

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपस्थित :—

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0, श्री रणवीरसिंह शेखावत एड0 वादीगण अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार प्रतिवादी संख्या–8

वादपत्र बाबत इस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर भूमि खसरा नम्बर 4060 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 4061 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 4062 रकबा 0.59 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.67 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर है जिसके 1/3 हिस्से की भूमि पर वादी नम्बर 1 व 1/3 हिस्से की भूमि पर वादी नम्बर 2 व 1/3 हिस्से की भूमि पर वादीगण नम्बर 3 ता 5 वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चले आ रहे है जबकि वर्तमान में उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता व पति के नाम मृत्तक रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ के नाम से अंकित चला आ रहा है जो कि बिल्कुल गलत है व दुरूस्तनीय है। उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है जिस पर वादीगण ने काफी पैसे लगाकर व परिश्रम करके उपजाऊ एंव उन्नत बना लिया हैं व वादीगण ने कृषि प्रयोजनार्थ अण्डर ग्राउण्ड्र पाईप लाईन लगा रखी है एंव वर्तमान में जौ, गैहू, चना आदि की फसल काश्त कर रखी है। उक्त भूमि को ओर अधिक उपजाऊ एंव समुचित रूप से विकसित करने हेतु सरकारी सहायता ऋण आदि लेने हेतु उक्त भ्ज्ञूमि के राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर वादीगण को पता चला कि उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही एंव सहवन से प्रतिवादीगण के पिता स्व रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ के नाम गलत रूप से अंकित हो गया है जबकि उक्त भूमि से प्रतिवादीगण या अन्य दीगर का किसी का कभी भी कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नही रहा हैं, ना ही वर्तमान में है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाकर वादीगण का नाम अंकित करवाने एंव प्रतिवादीगण के पिता/पति/दादा का नाम हजफ करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण पहले तो हां करते रहे, लेकिन अब उक्त भूमि की बढ़ती हुयी कीमतों को देखकर दीगर के बहकावे में आकर उनके मन में बदयान्ति पैदा होने से अर्सा 10–15 दिन पूर्व उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने से साफ मना कर दिया व धमकी दी कि उक्त भूमि का रिकार्ड हमारे नाम से है। हम दीगर को बैचान कर रिकार्ड को परिवर्तित करवा देगें व तुम्हे जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर कब्जा प्राप्त करेगें, इस कारण माननीय न्यायालय में वादपत्र पेश किया गया है। वादीगण ने

07/02/24 दिलीप सिंह
उपखण्ड कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर भूमि खसरा नम्बर 4060 रकबा 0.60 हैक्टर खसरा नम्बर 4061 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 4062 रकबा 0.59 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.67 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 1/3 हिस्से का वादी नम्बर 1 को व 1/3 हिस्से का वादी नम्बर 2 को एवं शेष 1/3 हिस्से का वादीगण संख्या 3 ता 5 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें एवं उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण के पिता/पति व दादा स्वर्गीय रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ का नाम हफ्ज किया जाकर वादीगण का नाम अंकित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जावें एवं प्रतिवादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने हेतु निवेदन किया।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये, बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक व सम्मन समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार पेश संशोधित शीर्षक को शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य में वादी बद्रीनारायण का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र व गवाह अर्जुनलाल व सीताराम के शपथ पत्र पेश हुये। वकील वादीगण ने प्रकरण में अंतिम बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी जाना आवश्यक प्रतीत हुआ।

हमने प्रकरण में साक्ष्य वादी हो जाने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077, मिलान क्षेत्रफल व पूर्व में हो रखे ईकरारनामे का अवलोकन किया व जमाबंदी संवत 2074–2077 में भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आज दिनांक तक भी मृत्तक रामेश्वर के विधिक वारिसान द्वारा स्वंय के हक में उक्त भूमि का विरासत का नामान्तकरण नही करवाया गया, जबकि उक्त वादपत्र पेश करने से पूर्व ही रामेश्वर की मृत्यु हो चुकी थी जिससे वादीगण के वादपत्र को बल मिलता है तथा नोटेरी पब्लिक चौंमू द्वारा सत्यापित इकरारनामें के अनुसार रामवतार, मूलचन्द वगैरह पुत्र रामेश्वर दर्जी, दिवराला द्वारा स्टॉम्प पेपर खरीद कर दिनांक 20.11.1998 को इकरारनामा भूमि का बेचान करने तथा सम्पूर्ण रूपये प्राप्त करने की स्वीकारर्ता प्रदान की गई। इसके अनुसार मृत्तक रामेश्वर पुत्र जगनाथ जाति दर्जी दिवराला के विधिक वारिसानों द्वारा मूल खसरा नम्बर 3035 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा सम्पूर्ण में से 1/3 भाग सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय कर दी गई तथा कब्जा क्रेतागण को सुपुर्द कर दिया गया तथा पत्रावली पर पेश ईकरारनामा के आधार पर भी वादीगण का उक्त विवादित भूमि पर काबिज होना सिद्ध होता है। अतः वादीगण द्वारा

(Rathore)
सिंह
उपखण्ड कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रस्तुत वादपत्र बाबत् इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् इस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती रिकार्ड को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 4060 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 4061 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 4062 रकबा 0.59 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.67 हैक्टर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में से 1/3 भाग का वादी नम्बर 1 व 2 को क्रमशः 1/3, 1/3 हिस्से का व वादीगण नम्बर 3 ता 5 को 1/3 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं व उक्त हिस्से की भूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण/मृत्तक रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बादः तकमील दाखित दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)